Saryu Roy

MEMBER
Jharkhand Legislative Assembly
CHAIRPERSON
Committee on Subordinate Legislation

Residence :
• F-Type, Quarter No. 1, A. G. More,
Doranda, Ranchi - 834002
Mob. : 9431114466
E-mail : saryuroyoffice@gmail.com
Website : www.saryuroy.in

Ref. आ.का.(झा.वि.)/01/283/25 Date 09-09-25

माननीय अध्यक्ष
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

विषय : झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–191 के अधीन धनबाद जिला के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद और बाघमारा अंचल अधिकारी के विरूद्ध सदन की अवमानना एवं सभा–सदस्य के विशेषाधिकार का हनन की कार्रवाई आरंभ करने के संबंध में।

महोदय,

षष्ठम झारखण्ड विधानसभा के तृतीय (मानसून) पूरक सत्र में दिनांक 28.08.2025 को मेरे गैर सरकारी संकल्प (संलग्न अनु.–1) के उत्तर में माननीय मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सदन के समक्ष अंचल कार्यालय, बाघमारा के पत्रांक 1158, दिनांक 22.08.2025 का उद्धहरण देते हुए कहा है कि उपायुक्त धनबाद के प्रतिवेदन के अनुसार **"मौजा–दरिदा, मौजा नं.– 120, खाता सं.– 271 की भूमि पर चाहरदिवारी कर अतिक्रमण किये गये भूमि से संबंधी मामले में अतिक्रमण वाद सं.–7/2024–25 दायर कर अभिलेख संधारित करते हुए अतिक्रमण की गयी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु आदेश पारित किया गया है।"** उन्होंने बताया कि अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु दिनांक 08.09.2025 की तिथि निर्धारित की गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद से मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल–महिला बल सहित (सशस्त्र एवं लाठी पार्टी) की प्रतिनियुक्ति करने हेतु अनुरोध किया गया है। **निर्धारित तिथि को प्रश्नगत भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए प्रतिवेदन अंतिम रूप से समर्पित कर दिया जाएगा।**

वस्तुस्थिति यह है कि अभी तक अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए न तो सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और न ही अतिक्रमण हटाया गया हैं। यह विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए ठोस आश्वासन का उपर्युक्त विषयक अधिकारियों द्वारा उल्लंघन है और प्रश्न उठाने वाले सदस्य तथा सभा के विशेषाधिकार का हनन एवं सभा की अवमानना है।

इसके पूर्व मैंने पंचम विधान सभा के मानसून सत्र में दिनांक 02.08.2024 को अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–05 (संलग्न अनु.–2) द्वारा यह विषय सदन में उठाया था। इसके उत्तर में सरकार ने माना कि उक्त स्थल में अतिक्रमण हुआ है, ऊँची चाहरदीवारी से घेरकर दबंगों द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों, जिनमें अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक रैयतों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और

गैर–आबाद प्लॉट संख्या 1837, 1838, 1852, 1853 एवं 582 पर ईंट एवं सीमेंट की दीवार खड़ा कर दी गई है। उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदन के अनुसार प्रसंगाधीन मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

तदुपरांत दिनांक 07.03.2025 को मैंने षष्ठ्म झारखण्ड विधानसभा के द्वितीय (बजट) सत्र में अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–36 (संलग्न अनु.–3) द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। इस पर सरकार ने मेरे प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर दिया और सदन को बताया कि उक्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिला स्तर से अतिक्रमण वाद संख्या– 07/2024–25, दिनांक 06.03.2025 प्रारंभ करते हुए नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण हटा देने की कार्रवाई आरंभ कर दिया गया है। इसके बाद प्रसंगाधीन मामले में मेरे गैर सरकारी संकल्प की सूचना के उत्तर में दिनांक 28.08.2025 को सरकार ने उत्तर दिया कि दिनांक 08.09.2025 को अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, इसके लिए अंचल कार्यालय, बाघमारा के पत्रांक 1158, दिनांक 22.08.2025 द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु दिनांक 08.09.2025 की तिथि निर्धारित कर दी गई है और इसके लिए मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद से अनुरोध किया गया है। निर्धारित तिथि को यानी दिनांक 08.09.2025 को प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण मुक्त करते हुए यह प्रतिवेदन अंतिम रूप से समर्पित कर दिया जाएगा। परंतु दिनांक 08.09.2025 को अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई अंचल अधिकारी, बाघमारा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद तथा धनबाद पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई।

स्पष्ट है कि इस मामले में धनबाद प्रशासन की आरोपी अतिक्रमणकारी के साथ मिलीभगत है और जिला प्रशासन जानबूझकर अतिक्रमण नहीं हटा रहा है। सरकार द्वारा इस मामले में सदन में दिये गए उत्तर से स्पष्ट है कि धनबाद जिला के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और बाघमारा अंचल अधिकारी ने विधानसभा की अवमानना की है और सदस्य एवं सभा के विशेषाधिकार का हनन किया है।

अतः अनुरोध है कि उपायुक्त धनबाद, अनुमंडल अधिकारी, धनबाद एवं अंचल अधिकारी, बाघमारा के विरूद्ध सदन की अवमानना और सदस्य एवं सभा के विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई आरंभ करने की कृपा करना चाहेंगे।

सादर,

सरयू राय

(सरयू राय)

अनु - 1

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० से प्राप्त गैर सरकारी संकल्प की सूचना :–

वक्तव्य की तिथि– 28.08.2025

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि धनबाद जिला के बाघमारा अंचल अंतर्गत दरिदा एवं लेढ़िडुमर गाँवों के रैयतों एवं सरकार की करीब 100 एकड़ से अधिक जमीन पर ऊँची चाहरदीवारी खड़ा कर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित् करें, चाहरदीवारी को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त करें, ताकि किसान अपनी जमीन पर खेती कर सके और इस विषय में अब तक हुई जाँच के निर्देशों को लागू नहीं करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई करें।

सरकारी वक्तव्य

उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदन के अनुसार :–

मौजा–दरिदा, गौजा नं०–120, खाता सं०–271 की भूमि पर चाहरदिवारी कर अतिक्रमण किये गये भूमि से संबंधित मामले में अतिक्रमण वाद सं०–7/2024–25 दायर कर अभिलेख संधारित करते हुए अतिक्रमण की गयी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु आदेश पारित किया गया है1 अंचल कार्यालय, बाघमारा के पत्रांक–1158, दिनांक–22.08.2025 के द्वारा अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु दिनांक–08.09.2025 को तिथि निर्धारित करते हुए मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल महिला बल सहित (सशस्त्र एवं लाठी पार्टी) की प्रतिनियुक्ति करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद से अनुरोध किया गया है। निर्धारित तिथि को प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराते हुए प्रतिवेदन अंतिम रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :– 5/स0भू0 वि०स० धनबाद (गै०स०सं०)–133/2025...2301.........(5)/रा0 राँची, दिनांक 25/8/25

प्रतिलिपि :– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान--सभा सचिवालय को वक्तव्य की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची तथा विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25.8.2025

सरकार के उप सचिव

अनु-2

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>श्री सरयु राय,
माननीय स0वि0स0</td><td>माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत बाघमारा प्रखण्ड के मौजा– दरिदा और लेढ़ोडूमर के अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम रैयतों और सरकारी जमीन, जिसका रकबा करीब 200 एकड़ है, को चहारदीवारी से घेरकर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ;</td><td>उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदन के अनुसार, स्थलीय जाँचोंपरांत बाघमारा प्रखण्ड के अंतर्गत मौजा–दरिदा में लगभग 200 एकड़ भूमि जिसमें रैयती एवं गैर आबाद सम्मिलित है पर दक्षिण एवं पूरब तरफ से चाहरदीवारी है तथा उत्तर तरफ से आंशिक है जबकि पश्चिम तरफ खुला है । अर्थात् पश्चिम एवं उत्तर तरफ से खुला है । स्थल जाँच के क्रम में स्थानीय लागों द्वारा बताया गया कि इसमें दरिदा मौजा के रैयतों का रैयती जमीन है तथा तकरीबन 16.52 एकड़ भूमि गैर मजरूआ खास है । उक्त भूमि का विवरण इस प्रकार है :–
<table>
<tr><th>मौजा/थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr>
<tr><td rowspan="16">दरिदा/120</td><td rowspan="16">271</td><td>582</td><td>1.07</td></tr>
<tr><td>1853</td><td>0.37</td></tr>
<tr><td>1852</td><td>1.30</td></tr>
<tr><td>1837</td><td>3.26</td></tr>
<tr><td>1838</td><td>1.26</td></tr>
<tr><td>573</td><td>2.22</td></tr>
<tr><td>574</td><td>0.44</td></tr>
<tr><td>575</td><td>0.63</td></tr>
<tr><td>576</td><td>2.60</td></tr>
<tr><td>566</td><td>0.37</td></tr>
<tr><td>1855</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td>1856</td><td>0.95</td></tr>
<tr><td>1858</td><td>0.33</td></tr>
<tr><td>1860</td><td>0.61</td></tr>
<tr><td>1831</td><td>0.20</td></tr>
<tr><td>549</td><td>0.27</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>कुल रकबा:–</td><td>16.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल प्लॉट की सं०:–</td><td>16</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग से निर्मित पथ पर गेट लगाकर उसे चहारदीवारी के अन्दर कर लिया गया है और विगत दो वर्षो से रैयतों को उनकी जमीन पर खेती नहीं करने दिया जा रहा है ;</td><td>उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदन के अनुसार पथ निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित सड़क जो सन् 2009 में बना है जिसमें पूरब तरफ दीवार दिया हुआ है जिसके बीचों–बीच में एक गेट लगा हुआ है जिसके संबंध में स्थानीय ग्रामीणों एवं अंचल अमीन द्वारा स्पष्ट किया गया कि बीचों–बीच जो गेट लगा हुआ है वह गेट हाल खाता सं०–251 के अंतर्गत प्लॉट सं०– 1820 जिसका रकबा– 21 डी० है, पर अवस्थित है जो रैयती खाता की भूमि है जिसका गत सर्वे प्लॉट सं०– 1831 है जिससे हाल सर्वे प्लॉट –1820 बना है । उक्त खाता सं०– 251, प्लॉट सं०–1820, रकबा– 21 डी० जो हाल खाता के अनुसार रैयती खाते की है जो सोहन माँझी, पिता–विशु माँझी एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है । उल्लेखनीय है कि गैर आबाद प्लॉट सं०– 1837, 1838, 1852, 1853 एवं 582 पर ईंट एवं सीमेंट का दीवार दिया गया है ।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि 06.02.2022 को अंचल जमीन और राजस्व निरीक्षक, बाघमारा ने अवैध कब्जा की सम्पुष्टि करते हुए एक प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बाघमारा को दिया है ;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक</td></tr>
</table>

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरिदा और लेढ़ोडूमर मौजा के रैयतों तथा सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाने और अवैध चहारदीवारी ध्वस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदन के अनुरू- प्रसंगाधीन मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स०भू० विधानसभा(तारांकित)–199/2024-2460(5)/रा० राँची, दिनांक–01-8-20

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–3177/वि0स0, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.2024
सरकार के अवर सचिव।

(120) अनु-3

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–07.03.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–36 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री सरयू राय, माननीय स०विं०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि मेरे पत्र–94, दिनांक–25.04.2024 के आलोक में राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के संयुक्त सचिव ने निर्देशानुसार धनबाद जिले के बाघमारा अंचल अंतर्गत दरिदा एवं लेढ़ीडुमर गाँव के रैयतों की और सरकारी जमीन पर चहारदीवारी खड़ा कर अवैध कब्जा करने वाले के विरूद्ध जाँचोपरांत यथाशीघ्र विधिसम्मत् करने का निर्देश पत्रांक विविध–10/2023/1413, दिनांक–24.05.2024 द्वारा उपायुक्त, धनबाद को दिया है और इसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को भी दिया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्रसंगाधीन मामले में विधिसम्मत् कार्रवाई अबतक नहीं की गयी है ;	कंडिका–1 में उल्लेखित पत्र में धनबाद जिलांतर्गत बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के किसी विशेष खाता/प्लॉट का उल्लेख नहीं है । परन्तु जिला प्रशासन के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि गैर आबाद प्लॉट सं०–1837, 1838, 1852, 1853 एवं 582 पर दीवार बना हुआ पाया गया है । अतः उक्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु जिला स्तर से अतिक्रमण वाद सं०–07/2024–25, दिनांक–06.03.2025 प्रारंभ करते हुए Form-I में नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार और धनबाद जिला प्रशासन द्वारा रैयतों और सरकार की जमीन पर ऊँची दीवार खड़ा करके अवैध कब्जा करने वालों को अबतक चिन्हित् नहीं किया गया है ;	कंडिका–2 के अनुसार।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्यपाल सचिवालय के निर्देश पर अवैध कब्जाधारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स०भू० वि०स० धनबाद (अ०सू०)–35/2025...682...(5)/रा० राँची, दिनांक–06-03-2025

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–783/वि०स०, दिनांक–25.02.2025 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव